



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 61 क्वार्टर व 05 लीटर कच्ची अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराही आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह थाना मऊ द्वारा अभियुक्त रज्जन पासो पुत्र लल्लू निवासी सरौधां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 28 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी राकेश कुमार थाना मऊ द्वारा अभियुक्त हैदर अली पुत्र कल्लू निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 पिपिया में 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii) उ0नि0 श्री अखिलेश यादव मय हमराह आरक्षी संदीप कुमार थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र बच्चा निवासी वंशरूप का पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा को एक प्लास्टिक के झोले में 16 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv) उ0नि0 श्री रविकान्त राय मय हमराह आरक्षी प्रतीक सिंह, आरक्षी आकाश कुमार थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त रामभजन पुत्र संतोष निवासी वंशरूप का पुरवा भौरी थाना रैपुरा को एक प्लास्टिक के झोले में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

प्रथम पक्ष आवेदक कुलदीप कुमार पुत्र बृजेश कुमार द्वारा अपनी पत्नी के मायके से न आने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था द्वितीय पक्ष से पत्नी श्रीमती प्रीति तिवारी का बयान है कि जब मैं गर्भवती थी तो मेरे पति व ससुराल वालों ने मुझे मायके भेज दिया मेरा बच्चा 07 महीने का हुआ इलाज में 04 लाख रुपये खर्च हुआ जिसमें मेरे पति व ससुरालवालों ने कोई मदद नहीं की न ही कोई देखने आया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका, महिला आरक्षी अनामिका सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने

की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2. महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3. महिला आरक्षी सोनिका

4. महिला आरक्षी अनामिका

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह के द्वारा नाबालिक को बहलाफुसलाकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.09.2026 को थाना मऊ अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 14.09.2026 को घर से बिना बताये कहीं चली गयी मेरी पुत्री मऊ में पढ़ती है कुछ लोगो द्वारा उसे सौरभ पाण्डेय पुत्र शिवनरेश पाण्डेय निवासी सिकरी थाना मऊ के साथ मोटर साइकिल पर देखा गया है वह मेरी नाबालिक पुत्री को बरगलाकर ले गया है। सूचना पर थाना मऊ में मु०अ०स० 336/26 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सौरभ पाण्डेय उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 17.09.2026 को पीडिता की बरामदगी की गयी। माननीय न्यायालय में पीडिता बयान 183 बीएनएसएस के आधार पर विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)एम बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 30.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त का वांछित आरोपी अभियुक्त सौरभ पाण्डेय पुत्र शिवनरेश पाण्डेय निवासी सिकरी थाना मऊ अपने पिता के साथ पंजीकृत मुकदमा की जानकारी हेतु थाना आया जिसमें मु०अ०स० 336/26 व जर्म धारा 137(2), 64(2)एम बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से अवगत कराते हुये थाना परिसर मऊ से गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) एसीजेएम श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनांक 30.09.2026 को थाना मारकुंडी में पंजीकृत मु०अ०स० 35/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सत्येन्द्र यादव पुत्र स्व० रामनरेश यादव ग्राम छेरिहा खुर्द थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5562/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहेवादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) एसीजेएम श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनांक 30.09.2026 को थाना मारकुंडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 07/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सत्येन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामनरेश यादव ग्राम छेरिहा खुर्द थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 11262/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रत्येक बुधवार को लगातार व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 30.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।

डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकॉइन्स में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत <https://www.cybercrime.gov.in> पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।